दिनाक 25.02.2021
प्रेस विज्ञप्ति–25/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद इटावा/थाना बकेवर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,**

दिनॉकः24/25.02.2021 की रात्रि थाना बकेवर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लखना तिराहा चकरनगर रोड से पुरस्कार घोषित अभियुक्त जुम्मन को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद इटावा के विभिन्न थानो पर गैंगेस्टर एक्ट, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के करीब आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0–300/2020 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बकेवर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः–

जुम्मन निवासी काशीराम कालोनी ब्लाक नं0–12 नई तहसील के सामने कचौरा रोड़ थाना जसवन्तनगर जनपद इटावा।

जनपद गोरखपुर/थाना पिपराईच

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **चोरी के सोने चॉदी के आभूषण,**
- **15 हजार रूपये नगद आदि बरामद**

दिनॉकः 25.02.2021 को थाना पिपराईच पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चुंगी कार्सिंग की तरफ सोनबरसा जाने वाले टैम्पो स्टैण्ड के पास चेकिंग के दौरान 03

अभियुक्तों 1–शानू खान 2–शानू अन्सारी 3–सोनू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से काफी संख्या में सोने चॉदी के आभूषण,15 हजार रूपये नगद आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना पिपराईच क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना पिपराईच पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे।

इस सम्बन्ध में थाना पिपराईच पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः–

1–शानू खान निवासी वार्ड नं0–3 पिपराईच थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर।

2–शानू अन्सारी निवासी वार्ड नं0–3 पिपराईच थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर।

3–सोनू निवासी दुल्हन मैरेज लान के बगल थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर।

बरामदगीः–

1–सोने चॉदी के आभूषण।

2–15 हजार रूपये नगद आदि

जनपद बरेली/थाना कोतवाली

- **02 वाहन चोर गिरफ्तार,**
- **चोरी की 11 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 25.02..2021 को थाना कोतवाली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दामोदर पार्क के पास से 02 वाहन चोर 1–तसलीम 2–शाहिद को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 11 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के वाहन चोर है। गिरफ्तार अभियुक्तो द्वारा जनपद बरेली के आस—पास के थाना क्षेत्रो से वाहनों की चोरी कर ग्राहक मिलने पर कम दामो में बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त :—

1—तसलीम निवासी ठिरिया थाना कैण्ट जनपद बरेली।

2—शाहिद निवासी ग्राम उमरिया थाना कैण्ट जनपद बरेली।

बरामदगीः—

चोरी की 11 मोटर साइकिल ।

जनपद औरैया/थाना कोतवाली

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालन करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **11 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र**
- **शस्त्र बनाने के उपकरण**
- **खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 25.02.2021 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर क्योंटरा के बीहड झोपड़ी से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालन करने वाले 02 अभियुक्तों 1—रामबाबू 2—धर्मसिंह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 11 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र (08 निर्मित 03 अर्द्ध निर्मित), शस्त्र बनाने के उपकरण, खोखा कारतूस आदि बरामद हुआ।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रामबाबू निवासी तेजपुर थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।

2–धर्मसिंह निवासी तेजपुर थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी

1–11 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र

2–शस्त्र बनाने के उपकरण

3–खोखा कारतूस आदि।

जनपद बहराइच/थाना फखरपुर

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **लगभग 01 लाख 35 हजार रूपये कीमत के 1 किलो 50 ग्राम अवैध चरस बरामद**

दिनांक 24.02.2021 को थाना फखरपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सुआताली मोड़ के पास से चेकिंग के दौरान 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी सलमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लगभग 01 लाख 35 हजार रूपये कीमत के 1 किलो 50 ग्राम अवैध चरस बरामद हुआ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बहराइच, जनपद श्रावस्ती के विभिन्न थानो पर चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना फखरपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सलमान निवासी आगापुरवा थाना कोतवाली देहात जनपद बहराइच।

बरामदगी

1– लगभग 01 लाख 35 हजार रूपये कीमत के 1 किलो 50 ग्राम अवैध चरस।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना फेस–3

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 25.02.2021 को थाना फेस–3 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एफएनजी रोड बहलोलपुर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी धर्मवीर को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो पर चोरी आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना फेस–3 पर पंजीकृत मु0अ0सं0 76/2021 धारा 411/414/482 भादवि में वाछिंत चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना फखरपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–धर्मवीर निवासी पुसावली थाना गुन्नोर जनपद सम्भल।

<u>जनपद बागपत/थाना खेकड़ा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा)</u>

जनपद बागपत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ए0डी0जे0–5 पॉक्सों जनपद बागपत द्वारा थाना खेकड़ा पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त रोजूद्दीन को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>एसटीएफः दूसरे व्यक्ति के शैक्षिक दस्तावेजों के आधार पर फर्जी तरीके से जनपद श्रावस्ती में नियुक्त शिक्षक सुनील कुमार को एसटीएफ उत्तर प्रदेश ने किया गिरफ्तार।</u>

श्री सुनील कुमार पुत्र श्री राम पाल निवासी ग्राम कृपानगर उर्फ बीघेपुर तहसील हापुड़ पोस्ट पारपा जनपद हापुड़ मो0न0–9219552505 के शैक्षिक दस्तावेजों के आधार पर प्राथमिक विद्यालय परसोहना ब्लाक सिरसिया में प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त फर्जी शिक्षक सुनील कुमार को गिरफ्तार करने में एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–</u>

राम सजन वर्मा पुत्र राम शंकर निवासी ग्राम बुधईपुर, पोस्ट व थाना कप्तानगंज, जनपद बस्ती।

बरामदगीः–

1. रू0–2120/–
2. 01 अदद सुनील कुमार नाम से आधार कार्ड नं0–807379985808
3. 01 अदद सुनील कुमार के नाम का निर्वाचन कार्ड नं0–एनयूजी–1918358
4. राम सजन वर्मा के नाम से ई चालान की छाया प्रति वाहन सं0–यूपी–51 एए–8227
5. 01 अदद मोबाइल फोन

गिरफ्तारी का दिनांक एवं स्थान/समयः–

दिनांक 24–02–2021 समयः अपरान्ह 15:45 बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय जनपद श्रावस्ती

एसटीएफ लखनऊ मुख्यालय को फर्जी शैक्षिक दस्तावेजों के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी तरीके से शिक्षक नियुक्त होने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जिसके सम्बन्ध में श्री सत्यसेन यादव, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ को गोपनीय जांच व कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में एस0टी0एफ0 की एक टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना संकलन को सक्रिय किया गया।

एस0टी0एफ0 टीम द्वारा गोपनीय जांच व कार्यवाही के क्रम में श्री सुनील कुमार, प्रधानाध्यापक परसोहना ब्लाक सिरसिया जनपद श्रावस्ती के शैक्षिक दस्तावेजों की प्रति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद श्रावस्ती से प्राप्त की गई। श्री सुनील कुमार के हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट के अंकपत्र का सत्यापन संबंधित विद्यालय अग्रसेन इण्टर कालेज बुलन्दशहर से कराया गया। अग्रसेन इण्टर कालेज बुलन्द शहर से प्राप्त सत्यापन आख्या के अनुसार अभिलेखों में सुनील कुमार पुत्र राम पाल सिंह का पता ग्राम कृपानगर उर्फ बीघेपुर पो0 पारपा जनपद हापुड़ पाया गया। उपरोक्त पते के निवासी श्री सुनील कुमार मो0नं0–9219552505 से सम्पर्क किया गया तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि किसी राजकीय सेवा में नियुक्त नहीं है। उक्त क्रम में उ0नि0 श्री सत्य प्रकाश सिंह के

नेतृत्व में एक टीम गठित कर अभिसूचना संकलन करते हुये आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया।

एस0टी0एफ0 टीम द्वारा फर्जी शिक्षक के पतारसी/सुरागरसी में मुखबिर मामूर किया गये व एस0टी0एफ0 के संसाधनों के प्रयोग एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद श्रावस्ती के कार्यालय से अभिलेखों के सम्यक परीक्षण के उपरान्त फर्जी शैक्षिक दस्तावेजों के आधार पर नियुक्त होने का पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर सुनील कुमार, प्रधानाध्याक परसोहना ब्लाक सिरसिया जनपद श्रावस्ती को दिनांक—24—02—2021 को समय 15:45 बजे जुर्म धारा—409, 419, 420 ,467,468, 471 भा0द0वि0 से अवगत कराते हुये कारण गिरफ्तारी बताकर हिरासत में लिया गया।

पूछतांछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त सुनील कुमार, प्रधानाध्याक परसोहना ब्लाक सिरसिया जनपद श्रावस्ती ने बताया कि उसका असली राम सजन वर्मा पुत्र राम शंकर निवासी ग्राम बुधईपुर पोस्ट व थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती है। हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 1996 में, इण्टरमीडिएट परीक्षा वर्ष 1998 में औद्योगिक इण्टर कालेज महराजगंज बस्ती से, बी0ए0 वर्ष 2003 में किसान डिग्री कालेज बस्ती से व बी0एड वर्ष 2005 में साकेत महाविद्यालय अयोध्या से उत्तीर्ण किया है। कड़ाई से पूछतांछ करने पर बताया कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान श्रावस्ती में नियुक्त जे0पी0 श्रीवास्तव ने सुनील कुमार के नाम के शैक्षिक दस्तावेज उपलब्ध कराये थे, जिनकी मुत्यु हो चुकी है। जे0पी0 श्रीवास्तव द्वारा सुनील कुमार के उपलब्ध कराये गये शैक्षिक दस्तावेजों का प्रयोग करते हुये वर्ष 2010 में जनपद श्रावस्ती से आवेदन किया था, जिसके उपरान्त वर्ष 2011 में प्रा0वि0 शंकर नगर वि0खण्ड सिरसिया में नियुक्त हुआ था।

गिरफ्तार अभियुक्त राम सजन वर्मा पुत्र राम शंकर निवासी ग्राम बुधईपुर पोस्ट व थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती (सुनील कुमार, प्र0अ0, परसोहना ब्लाक सिरसिया जनपद

श्रावस्ती) के विरूद्ध कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती में मु0अ0सं0 57/2021 धारा—409, 419, 420 ,467,468, 471 भा0द0वि0 पंजीकृत कराया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

——————